

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(मुरारी लाल शर्मा, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

35 / 2017
23.03.2017

भंवरलाल पुत्र बख्तावर जाति माली निवासी लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0
-अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला-टोंक राजस्थान

-रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक
16.09.2015 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री अनीस जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री घसिडीया राम बैरवा, तहसीलदार, राजकीय पेरोकार रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 21.12.2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 16.09.2015 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 531/1 में से रकबा 0.05 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम लाम्बाहरिसिंह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर कोई जांच नहीं की है। अपीलांट के खिलाफ ऐसी कोई शहादत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे अपीलांट को पूर्व में सजा याप्त किया गया हो। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी



भंवरलाल पुत्र बख्तावर
टोंक



ज्ञात होता है कि अपीलान्त ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्त द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 531/1 में से रकबा 0.05 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा पर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है।

अपीलांट के कब्जे बाबत तहसीलदार मालपुरा से जांच करवाने पर तहसीलदार मालपुरा ने उनके पत्र क्रमांक 2526 दिनांक 22.09.2021 से अवगत कराया है कि आरजी खसरा नम्बर 531/1 रकबा 05 बिस्वा वाके ग्राम लाम्बाहरिसिंह पर अतिक्रमी का कब्जा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.09.2015 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला न्यायालय
अति.जिला कलेक्टर, दौक